International Journal of Applied Research 2023; 9(1): 417-424

International Journal of Applied Research

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2023; 9(1): 417-424
www.allresearchjournal.com
Received: 05-12-2022
Accepted: 14-01-2023

निशात जमील
शोधार्थी, समाज शास्त्र विभाग, बरेली कॉलेज बरेली, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

डॉ0 रविन्द्र बंसल
समाज शास्त्र विभाग, बरेली कॉलेज बरेली, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
निशात जमील
शोधार्थी, समाज शास्त्र विभाग, बरेली कॉलेज बरेली, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

मुस्लिम समाज में तीन तलाक का आधुनिक स्वरूप समाजशास्त्रीय अध्ययन

निशात जमील और डॉ0 रविन्द्र बंसल

सारांश
मुस्लिम समाज में उतार–चढाव का दौर हिंदू सामाजिक व्यवस्था से मेल खाता नजर आता है। यद्यपि मुस्लिम महिलाएं तुलनात्मक रूप से पारंपरिक बेड़ियो को तोड़कर जिज्ञासा जगत में छिद्रान्वेषी रूप से सक्रिय भूमिका निभा रही है, लेकिन मुस्लिम समाज पर प्रस्तुत की गई व्याख्या से स्पष्ट है मुस्लिम स्त्रियों को स्वतंत्रता तथा समानता के अधिकारों से प्रायः वंचित ही रखा गया है। सामान्यतः सैद्धांतिक और व्यावहारिक धरातल में एकरूपता नहीं है। मुस्लिम स्त्रियों को शिक्षित बनाने में प्रयास अवश्य हुए हैं, परंतु कुल जनसंख्या में प्रतिशत अभी भी कम है उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित करके पुरुषों पर निर्भर रहने के लिए विवश किया गया है। पुरुषों पर निर्भर रहने के कारण वे इसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर पाती।
बहुसंख्यक मुस्लिम महिलाओं की मांग है, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार किए जाएं और कुरान में निहित अधिकारों तक उनकी पहुंच हो। मुस्लिम पारिवारिक कानून विखंण्डित है। सरकार और परिवार दोनो की ओर से इसमें बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार नहीं किये गये है। यद्यपि तीन तलाक पर संसद द्वारा पारित कानून से महिलाओं को चिंताजनक स्थिति से राहत अवश्य मिली है। इसके विपरीत आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समाज में विवाह को भंग करने के लिए तीन तलाक का प्रयोग सीमित है और यह भी तर्कपूर्ण है कि अकेले तलाक का मुद्दा लैंगिक न्याय के मूल का गठन नहीं कर सकता, बल्कि मुस्लिम समुदाय और सरकार को मुस्लिम व्यक्तित्व विकास पर बल देना चाहिए। आधुनिक मुस्लिम महिला ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई क्षेत्रों में मुस्लिम महिला सुधारों के जरिए सकारात्मक उपस्थिति दर्ज की है, जो कि प्रशंसनीय है।
अतः मुस्लिम महिलाओं के बारे में ऐसी किसी भी पूर्व धारणा मान्यताओं प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो महिलाओं की गरिमा का विरोध करती है। लैंगिंक समानता को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक और नैतिक मानदंडों का विकास जरूरी है जिससे मानवीय मूल्यों की अवहेलना न की जा सके। लिंग की असमानता को समाप्त करना अकेले सरकार का कर्तव्य नहीं बल्कि समाज को पितृसत्तात्मक बेडियां तोड़नी होगी जिससे महिला अधिकारों का संवर्धन किया जा सके।
हजरत पैगम्बर मोहम्मद साहब ने ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग किया जो महिला अधिकारों को सीमित करती थी। पैगम्बर पारिवारिक स्थिरता के समर्थक थे, और विवाह–विच्छेद को नगण्य रूप में में स्वीकार करते थे। इस्लाम में भी विवाह–विच्छेद को व्यापक रूप ना देकर परिस्थितिवश स्वीकार किया गया है क्योंकि अल्लाह ने हलाल शब्दों में सबसे ज्यादा नापसंद शब्द तलाक माना है।इम्तियाज अहमद ने भी अपनी पुस्तक में वर्णित मुस्लिम समाज का अध्ययन करके बताया कि मुसलमानों में तलाक की दर कम पाई जाती है पैगम्बर मोहम्मद साहब के समय में मुस्लिम समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित थी, उन्होंने महिलाओं को कई ऐसे अधिकार दिए, जो 19वीं, 20वीं शताब्दी में भी महिलाओं को प्राप्त नहीं हुए जैसे विवाहित महिलाओं को संपत्ति का अधिकार। पश्चिमी सभ्यताओं में महिलाएं अधिकारों से वंचित थी। मुस्लिम स्त्रियों को सामाजिक जीवन में अनेक अधिकार दिए गए हैं लेकिन वे इसके प्रयोग से वंचित होने के कारण समग्र क्षेत्रों में उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

कूटशब्द : निकाह, कुबूल, अय्याम–ए–जाहिलिया, हलाला, मेहर, खोल प्रथा, तुहर, छिद्रान्वेषी, दुष्कर, सहाबा, अग्रसोंची, इस्लामी लैंगिक समानता।

प्रस्तावना
भारत अनेक धर्मों का देश है और विश्व में अपनी सभ्यता और संस्कृति का अनोखा परचम लहराते हुए महिलाओं को भी एक सम्मानजनक दृष्टि प्रदान करने में अग्रणी रहा है। भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 50ः महिलाओं का हिस्सा है। महिलाओं के अधिकारों में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक समयानुसार गिरावट आई और उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई।

जिस नारी को वैदिक काल में स्वतंत्रता समानता के पूर्ण अधिकार प्राप्त थे उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति परिवर्तित होती चली गई। अनेक सामाजिक कुप्रथाएं स्त्रियों के ऊपर हावी होती चली गई और स्त्रियों पर अपना वर्चस्व बना लिया।

मुस्लिम समाज में ऐसी ही एक सामाजिक कुप्रथा विवाह–विच्छेद का एक प्रकार तीन तलाक (तलाक–ए–बिद्अत) मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट के लिए जिम्मेदार है। मुस्लिम समुदाय में विवाह–विच्छेद के अवधारणात्मक स्वरूप को समझने के लिए विवाह 'निकाह' जोकि अरबी का शब्द है का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। मुस्लिम विवाह को दो विपरीत लिंगो का मिलन माना जाता है जिसमें आपसी सहमति व स्वतंत्र इच्छा से निकाह के अंतर्गत होने वाले कार्यों को वैधता प्रदान की जाती है।

मुस्लिम समुदाय में विवाह को सामाजिक समझौता माना गया है किंतु कुछ न्याय विद्दों में इस संदर्भ में मतभेद है, न्यायविद्दो का एक पक्ष यह स्वीकार करता है कि मुस्लिम विवाह की प्रकृति को सिविल संविदा के अंतर्गत समझा जा सकता है, जिसके पक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि मुस्लिम विवाह में एक पक्ष प्रस्ताव 'इजाब' रखता है और दूसरा पक्ष इसे कुबूल स्वीकार करता है। सिविल संविदा में भी यही तर्कसंगत अवधारणा है कि एक पक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव का दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार करना। न्यायविद्द का एक पक्ष मुस्लिम विवाह को धार्मिक संस्कार मानता है। 'शोहरत सिंह बनाम जाफरी बेगम' के मामले में प्रिवी कौंसिल ने कहा कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह 'निकाह' एक धार्मिक संस्कार है, क्योंकि विवाह के समय पवित्र कुरान की आयतें पढ़ी जाती है।

पैगम्बर मोहम्मद साहब के अनुसार ''विवाह मेरी सुन्ना है'' और जो लोग इस तरह सुन्नत के जीवन का पालन नहीं करते वह मेरे अनुयायी नहीं है'' और यह कि ''इस्लाम कोई मठ नहीं है''। उपर्युक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा (1933) के मामले में सीजे सुलेमान ने मुस्लिम विवाह को सिविल संविदा और धार्मिक संस्कार दोनों का संतुलित रूप माना। मुस्लिम विवाह को अगर संविदा के संदर्भ में समझा जाए तो 'मेहर' अरबी शब्द की भूमिका पर भी प्रकाश डालना आवश्यक होगा। जब किसी भी वस्तु को संविदा के अंतर्गत विक्रय किया जाता है और वह मूल्य जिस पर वस्तु का विक्रय किया गया है, वह प्रतिफल है। मुस्लिम समुदाय में भी विवाह जो संविदा है और मेहर उसमें प्रतिफल है।

मेहर के अंतर्गत पूर्व इस्लामी समाज में (जो कि एक धनराशि है जिसे सोने या अचल संपत्ति में भी रखा जा सकता है) माता पिता या संरक्षक वधू मूल्य के रूप में प्राप्त करते थे, परंतु पैगम्बर मोहम्मद साहब के प्रयासों से मेहर को स्त्री का अधिकार बताया गया और उसे तय करने की स्वतंत्रता दी गई। अतः मुस्लिम विवाह में मेहर को पति द्वारा तलाक या पति की मृत्यु के समय पत्नी को सुरक्षा प्रदान की जाने वाली एक धनराशि समझा जाता है। मुस्लिम कानून के दृष्टिकोण से देखें तो मेहर पति द्वारा पत्नी को सम्मान प्रदान करने का एक प्रकार है।

मुस्लिम विवाह में 'हलाला' जो कि तात्कालिक रूप से पैगम्बर मोहम्मद साहब के समय में स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका पालन अनिवार्य बना दिया गया। आधुनिक परिस्थितियों में हलाला शब्द का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है और स्त्रियों के सम्मान को दुर्लभ रूप प्रदान किया गया है। हलाला के दुरुपयोग ने मुस्लिम स्त्रियों के जीवन को दुष्कर बना दिया है।

शरिया कानून के अनुसार हलाला का जन्म ***'हलाल'*** से हुआ है अरबी में हलाल का मतलब होता है न्यायसंगत, वैध या शास्त्रानुसार अर्थात कोई भी शादीशुदा स्त्री विवाह के संदर्भ में हलाल (वैध) हो जाती है। हलाला एक सकारात्मक शब्द है, के अंतर्गत अगर किसी पुरुष ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और उसकी बीवी ने दूसरे पुरुष से निकाह कर लिया हो, तथा किसी कारणवश वह दूसरा पुरुष भी उस स्त्री को तलाक दे दे, या उस पुरुष की मृत्यु हो जाए, ऐसी परिस्थितियों में वह स्त्री चाहे तो अपने पहले पति के साथ दोबारा निकाह कर सकती है, इद्दत की प्रक्रिया पूरी करने के बाद। इद्दत उस अवधि को कहा जाता है जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए या वह पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे दे तो महिला इस अवधि में दूसरे पुरुष से निकाह नहीं कर सकती।

पूर्व इस्लामी समाज में पुरुष महिलाओं को बार–बार तलाक देते थे और उन्हें वापस अपने पास बुला लेते थे, क्योंकि उस समय तलाक देने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी उसमें तलाक न्यायसंगत या वैध नहीं माना जाता था। इस प्रकार पुरुष स्त्रियों का शोषण करते थे, एक अत्याचारी व्यवस्था स्थापित कर दी गई जिससे स्त्रियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी किंतु इस्लाम के उदय ने स्त्रियों को उनका सम्मान वापस लौटा दिया और पैगम्बर मोहम्मद साहब ने ऐसी दुराचारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हलाला जैसी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य बना दिया ताकि कोई पुरुष अपनी स्त्री को बार–बार तलाक ना दे और शादी सिर्फ एक उपहास ना बने, इस इरादे से स्वयं पैगम्बर मोहम्मद साहब ने यह प्रथा शुरू की ।

अतः पैगम्बर मोहम्मद ने ऐसे पुरुषों पर लानतें बरसाई जो अपनी पत्नियों को तलाक देने के बाद उनका हलाला सिर्फ इस मकसद से कराते हैं ताकि वह उस स्त्री को दोबारा अपनी पत्नी के रूप में हासिल कर सके। पैगम्बर मोहम्मद ने हलाला प्रथा का प्रचलन दूरदर्शी परिणामों को लेकर शुरू किया जिसमें स्त्रियों के लिए एक सम्मानजनक व्यवस्था स्थापित की जा सके, जो अवश्यमभावी हो।

शरिया कानून में मुस्लिम विवाह एक 'अनुबंध' समझौता है न कि धार्मिक संस्कार। मुस्लिम विवाह अपनी प्रकृति में चार प्रकार के होते हैं–

1. **निकाह**– विवाह का यह स्वरूप मुस्लिम समाज में अपरिवर्तित माना जाता है तथा इसका प्रचलन अत्यधिक एवं विवाह–विच्छेद तक माना जाता है।
2. **मुताह** – यह अस्थाई प्रकृति का होता है और एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, ईरान आदि शिया देशों में ऐसे विवाह पाए जाते हैं।
3. **फासिद**– यदि ऐसे विवाह के बीच कुछ कठिनाइयां या अनियमितताएं आ जाएं और उनका समाधान किए बिना विवाह कर लेना, फासिद विवाह कहलाता हैं।
4. **बातिल**– शरिया अधिनियम की शर्तों को पूरा किए बिना ऐसा विवाह करना अवैध या बातिल विवाह कहलाता है।

प्राचीन अरबी समाज में प्रचलित विवाह का जो रूप था, उसमें स्त्रियों को अपने पति का चुनाव करने की पूरी स्वतंत्रता रहती थी अतः स्त्रियां कभी भी अपने पति को छोड़ सकती थी। रॉबर्टसन स्मिथ ने ऐसे विवाहो को बीना विवाह कहा है। विवाह का यह रूप धीरे–धीरे आधिपत्य विवाह में बदल गया और स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग गया, उनके अधिकारों को सीमित किया जाने लगा। अब विवाह–विच्छेद के मामले में पति को विशेषाधिकार मिल गए। प्राचीन अरबी समाज में स्त्रियों को विवाह–विच्छेद के संदर्भ में काफी स्वतंत्रता थी धीरे–धीरे स्त्रियों पर पुरुषों का वर्चस्व दिखाई देने लगा, पुरुष स्वेच्छानुसार स्त्रियों को तलाक देने लगे, तत्पश्चात् स्त्रियों की दशा दयनीय होती चली गई और उनकी स्थिति में भी गिरावट आई।

चूंकि मुस्लिम समुदाय में विवाह को समझौते का रूप दिया गया है और इस समझौते को कुछ विशेष परिस्थितियों में समाप्त करने की व्यवस्था भी की गई है। प्राचीन अरबी समाज में ''खोल'' प्रथा पाई जाती थी, जिसमें लड़की के पिता को 'सदक' वधू मूल्य प्राप्त होता था और इस वधूमूल्य को लौटा कर लड़की का पिता

उसे पति से मुक्त करा सकता था, किंतु धीरे–धीरे इस प्रथा में परिवर्तन के फलस्वरुप इसका स्थान मेहर ने ले लिया अब मेहर के अंतर्गत पत्नी मेहर लौटा कर कुछ विशेष परिस्थितियों में ही विवाह–विच्छेद कर सकती है, इस स्थिति में भी पति की सहमति आवश्यक है। इस्लामी कानून के अनुसार तलाक के मामले में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को ज्यादा अधिकार मिले है। पुरुष किसी भी परिस्थिति में स्त्रियों को बिना कोई कारण बताए तलाक दे सकते हैं, इस्लामी कानून का झुकाव पुरुषों के पक्ष में ही है क्योंकि स्त्री को जिन परिस्थितियों में तलाक का अधिकार दिया गया है खुला के माध्यम से उसमें भी स्त्री को मेहर लौटा कर पति की इच्छा के अनुरूप ही तलाक मिलता है।

मुसलमानों में विवाह–विच्छेद दो प्रकार से होते हैं–

1. **परंपरागत प्रथागत नियमों के द्वारा।**
2. **अदालत के माध्यम से।**

मुस्लिम कानून के अनुसार, एक स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति जो 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है मात्र शब्दों के उच्चारण से ही चाहे वह नशे की हालत में हो या पत्नी की अनुपस्थिति हो ऐसे तलाक को वैध माना जाता है।

तलाक के परंपरागत स्वरूप निम्नप्रकार हैं–

1. तलाक ए अहसन

इस तरह के तलाक में पति को **तुहर** (मासिक धर्म) के दौरान एक बार तलाक की घोषणा करनी होती है। उसके बाद इद्दत प्रक्रिया का पालन किया जाता है, इस दौरान पति पत्नी के बीच यौन–संबंध की मनाही होती है। इद्दत चार मासिक धर्मों के बीच की अवधि जो प्रायः 3 माह की होती है, इद्दत प्रक्रिया का प्रमुख्य उद्देश्य पत्नी का गर्भवती होना या ना होने का अनुमान लगाना होता है, इस अवधि में पुरुषों को भी अपने निर्णय पर पुनः विचार करने की स्वतंत्रता होती है, अगर पुरुष चाहे तो इस अवधि में पत्नी के साथ सहवास करके तलाक की प्रक्रिया को समाप्त कर सकते है, अन्यथा तलाक हो जाता है।

2. तलाक–ए–हसन

तलाक के इस प्रकार में पति को तीन मासिक धर्मो के अवसर पर तलाक की घोषणा को दोहराना पड़ता है, बिना सहवास के तलाक पूर्ण हो जाता है।

3. तलाक उल विद्अत तीन तलाक

चर्चा में रहा इस प्रकार का तलाक विवाह–विच्छेद का अत्यंत सरल तरीका है इसमें पति किसी भी मासिक धर्म के दौरान एक बार में तीन तलाक की स्पष्ट घोषणा कर देता है।

4. इला

पति कसम खाकर 4 माह या अधिक समय तक पत्नी के साथ यौन–संबंध नहीं रखे, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह–विच्छेद हो जाएगा।

5. खुला

पति की सहमति पर पत्नी द्वारा तलाक की मांग करना इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है।

6. मुबारत

पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह–विच्छेद होना इसमें पत्नी पति को कोई धन नहीं देती जबकि खुला में पत्नी द्वारा पति को कोई धन देना आवश्यक है।

7. जिहर

पति द्वारा ऐसी स्त्री की प्रशंसा करना जिसके साथ विवाह वर्जित है अतः तुलनात्मक रूप से अपनी पत्नी को कमतर आंकना ऐसी स्थिति में पत्नी को तलाक की मांग का अधिकार अदालत के माध्यम से प्राप्त हो जाता है।

8. **लियान** पति द्वारा पत्नी पर व्याभिचार का आरोप लगाते हुए और पत्नी इसका खंडन करें तो भी पत्नी को विवाह–विच्छेद का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

9. तलाक–ए–तफबीज

इस प्रकार के विवाह–विच्छेद में पत्नी द्वारा तलाक की मांग का अधिकार विवाह के दौरान ही कुछ आधारों पर प्राप्त हो जाता है।

तलाक के न्यायिक स्वरूपः

तलाक के परंपरागत नियमों में मुस्लिम स्त्रियों को मिली सभी निर्योग्यताएँ एवं असमानताएँ मुस्लिम विवाह–विच्छेद अधिनियम 1939 के द्वारा समाप्त कर दी गई। मुस्लिम स्त्रियों को भी विवाह–विच्छेद के संबंध में अधिकार प्राप्त हुए फलस्वरुप उनकी स्थिति में सुधार हुए।

उपर्युक्त विवरण से प्रतीत होता है कि मुसलमानों में तलाक की प्रक्रिया अत्यंत ही सरल है परंतु तलाक मुस्लिम समाज में अपेक्षाकृत कम ही होते हैं। इस संदर्भ में पैगम्बर मोहम्मद साहब भी तलाक के सीमित प्रयोग के पक्षधर थे और परिवार को स्थाई स्वरूप प्रदान करना चाहते थे, जब ऐसा प्रतीत हो कि दोनों पक्ष एक दूसरे से अलगाव की स्थिति चाहते हैं, तब तलाक का पालन अनिवार्य मानते थे। डॉक्टर कपाड़िया ने बतलाया है कि ''अपने जीवन के अंत में पैगम्बर इतने आगे बढ़ गए उन्होंने पंचों अथवा न्यायाधीशों के हस्तक्षेप के बिना इसका उपयोग पुरुषों के लिए करीब–करीब निषिद्ध सा ही कर दिया।'' आपने आगे बतलाया है कि न्यायशास्त्रियों ने विवाह–विच्छेद की आवृत्ति को सीमित करने का प्रयत्न किया, उनके अनुसार पति द्वारा चाहा गया तलाक वास्तव में पत्नी की सहमति के बिना निषिद्ध था।

साहित्य समीक्षा

हाल ही में उपजे मुस्लिम समुदाय में विवाह–विच्छेद का एक प्रकार तीन तलाक (तलाक उल बिद्अत) ने मुस्लिम स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को उजागर किया है।

इस्लामी सभ्यता धीरे–धीरे कैसे विकसित हुई इनका अध्ययन करना महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक है। इस्लामी अवधारणाओं को सही रूप में व्यक्त करने के लिए जिन परिस्थितियों में यह अवधारणाएं विकसित हुई और लगातार इनका प्रचलन कैसे आगे बढ़ा यह समझना आवश्यक हो जाता है अतः इस्लाम धर्म भी विभिन्न धर्मों की तरह विकसित होने वाला धर्म है।

पूर्व इस्लामी सभ्यता में 570ई में पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तब परिवर्तन का एक नया दौर शुरू हुआ। इस्लाम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव ने स्त्रियों को ''अय्याम–ए–जाहिलिया'' या अज्ञानता के युग से बाहर निकाला। पूर्व इस्लामी अरब में महिलाओं पर पुरुषों का वर्चस्व था, महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति या अमानत समझा जाता था, विरासत या संपत्ति में उनके अधिकार भी सीमित थे। इस्लाम ने महत्वपूर्ण सुधारों के अंतर्गत पूर्व इस्लामी अरब में प्रचलित सामाजिक बुराइयों जैसे–बाल–हत्या का अंत, तलाक के बाद दोबारा शादी का अधिकार, मेहर की राशि तय करने का अधिकार दिया गया है। इन्हीं सुधारों के फलस्वरूप महिलाओं को उनके जीवन यापन के खर्च का अधिकार, पति से अलग संपत्ति का उत्तराधिकार और मालिकाने में बराबर का अधिकार दिया गया। पति की बदसलूकी पर एकतरफा तलाक का अधिकार पति की मृत्यु या तलाक के बाद दोबारा शादी का अधिकार दिया गया। एक ऐसा युग जब महिलाएं अत्याचारी व्यवस्था और शोषण का शिकार हो रही थी, उनके अधिकारों और कर्तव्यों में कोई सामंजस्य नहीं था तब इस्लामी सुधारों के फलस्वरुप महिलाओं को उनकी पहचान मिली। पैगम्बर मोहम्मद साहब अग्रसोची विचारधारा के व्यक्ति थे इसलिए स्त्रियों की स्थिति के बारे में दूरदर्शी उपाय किए।

मुस्लिम युग के दूसरी शताब्दी में तीन तलाक (तलाक उल बिदअत) अर्थात् एक ही वाक्य में, ''मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ,'' का उच्चारण करना एक नया बुनियादी रिवाज के रूप में उभरा। इस्लाम में पति द्वारा पत्नी को पूरे जीवन में केवल 3 बार दिया जा सकता है। पहले दो तलाक को इद्दत (दो मासिक धर्म) के दौरान तोड़ा जा सकता है किंतु तीसरी बार में तलाक नहीं टूटता और तलाक हो जाता है, तीसरे तलाक के बाद फिर से शादी का विकल्प केवल तभी वैधानिक माना जाता है जब हलाला प्रक्रिया का पालन किया जाए किंतु यह दूरगामी संभावना के तौर पर देखा जाता है। हलाला प्रक्रिया का आशय यह सुनिश्चित करना था कि तलाक एक सनक भरा मजाक ना बन जाए। दुर्भाग्य से हलाला जैसे नियमों का पालन उन बेसहारा औरतों के लिए बनाया गया जिनका दूसरा निकाह भी टूट जाता है और ऐसी स्थिति में वे अपने पहले पति से निकाह करना चाहे तो भी ऐसा संभव है और इसी को हलाला कहते हैं।

हलाला शब्द का शाब्दिक अर्थ सकारात्मकता को प्रदर्शित करता है, यह एक साधारण प्रक्रिया के तहत ही मान्य है। यहां यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन में पैगम्बर मोहम्मद साहब ने भी अपनी किसी पत्नी को तलाक नहीं दिया और ज्यादातर विधवाओं से ही विवाह किया, ऐसी ही जीवन शैली का समर्थन करते हुए पैगम्बर मोहम्मद साहब ने हलाला नियमों को अनिवार्य बना दिया। यद्यपि आधुनिक परिस्थितियों में हलाला प्रक्रिया में फेरबदल करके महिलाओं के साथ अदला–बदली करके हलाला का दुरुपयोग किया जा रहा है परंतु शरीयत में इसकी मान्यता नहीं है।

तात्कालिक रूप से तीन तलाक एक तर्कसंगत अवधारणा थी जिसका प्रचलन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में शुरू हुआ। पैगम्बर मोहम्मद साहब के (सहाबा) साथी हजरत खलीफा उमर ने एक बार में तीन तलाक को वैधानिक और पूर्ण तलाक माना, क्योंकि हजरत खलीफा उमर के समय में पुरुष बार–बार स्त्रियों को तलाक देते और अपने पास वापस भी बुला लेते थे परिणामस्वरूप स्त्रियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती और बार–बार तलाक का अनुचित प्रयोग किया जाने लगा ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए और आपातकालीन इस समस्या के समाधान के लिए एक बार में पुरुषों द्वारा दिए गए तीन तलाक को तार्किक माना और आदेश दिया कि अब कोई भी पुरुष इस प्रकार विवाह–विच्छेद नहीं करेगा अन्यथा तलाक हो जाएगा और अगर तलाक हो गया तो दोबारा अपनी पत्नी को पास नहीं बुला सकेंगे इसलिए पैगम्बर मोहम्मद साहब ने हलाला प्रक्रिया का प्रचलन शुरू किया ताकि पुरुष अपनी पत्नियों को खोने के डर से भयभीत हो जाए और विवाह को स्थाई स्वरूप प्रदान किया जा सके। हजरत खलीफा उमर द्वारा लिया गया या निर्णय कि एक बार में तीन तलाक पूर्ण तलाक माना जाएगा मात्र प्रशासनिक उपाय था ताकि इस्लामी ग्रंथ पवित्र कुरान के प्रावधान को दुरुपयोग से रोका जा सके अतः एक बार में तीन तलाक कहना वैध न्यायसंगत अवधारणा है यह बात हदीस से भी स्पष्ट है । इस्लाम धर्म के लिए स्रोत के रूप में हदीस को मान्यता प्राप्त है। पैगम्बर मोहम्मद साहब ने कुरान में बताये गए आदेशों और सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया फलस्वरूप पैगम्बर मोहम्मद साहब की बातों का अनुसरण इस्लामी कानून का एक मजबूत आधार बन गया और पैगम्बर मोहम्मद द्वारा कहे गए, किए गए और माने गए विचारों का ही वर्णन हदीस या परंपरा कहलाई। पवित्र ग्रंथ कुरान में ऐसा कहीं भी संदर्भित नहीं किया गया है कि एक सांस में तीन तलाक का उच्चारण करना वैध है परंतु अगर कोई पुरुष एक बार में तीन तलाक की घोषणा कर देता है तो तलाक अंतिम और पूर्ण माना जाएगा क्योंकि हजरत उमर खलीफा ने तीन तलाक को मान्यता प्रदान की। यहां यह भी समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पवित्र कुरान और अल्लाह के द्वारा दिए गए संदेशों में ऐसे पुरुषों पर लानते बरसाई है जो एक बार में तीन तलाक देते हैं । महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि–

इस्लाम में ऐसे रिश्तो का कोई मोल नहीं जो निभाए ना जा सके इसलिए विवाह–विच्छेद की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो मध्यस्थता का रास्ता वांछनीय होगा। यदि विवाह–विच्छेद ही अंतिम निर्णायक है तब यह तार्किक है। यही टिप्पणी बीते दिनों पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने दी जब दो पक्ष लंबे समय से अलग हैं और विवाह–विच्छेद की याचिका किसी भी पक्ष की ओर से पेश की जाती है तब विवाह–विच्छेद ही अच्छा रहता है, 2019 को श्रीनिवास कुमार बनाम आर समेधा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी वैवाहिक संबंधों के खराब होने पर उनके टूटने का ही समर्थन किया। अतः वैवाहिक संबंधों को समग्रता की दृष्टि देना जरूरी है।

ब्रिटेन में 2008 में एक सर्वे के मुताबिक बच्चे तनावग्रस्त माहौल में एक के साथ प्रायः ज्यादा खुश रहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला शक्ति को जागृत करने के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारतीय नारियां सदियों से उत्पीड़ित हो रही है और पूर्व में अनेक सामाजिक कुप्रथाएं जैसे– सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह और मंदिरों में देवदासी प्रथा ने महिलाओं को असहाय कमजोर वह अशक्त किया। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त बुराइयों ने पूर्व में महिला अधिकारों का दमन करके उनकी सामाजिक स्थिति को चिंतनीय बनाया है। समयानुसार स्त्रियों के प्रति ध्यान प्रकट करते हुए उन्हें उनके अधिकारों के प्रयोग से वंचित होने से रोकने के लिए अनेक सामाजिक सुधारक जैसे ज्योतिबाफुले, राजा राममोहनराय, दयानंद सरस्वती आदि ने महत्वपूर्ण सुधार किए। सरकार ने भी कानूनी सुधारों के जरिए हिंदू महिलाओं के अधिकारों का दमन करने वाली सभी प्रथाओं का त्याग किया।

संविधान में देश की आधी आबादी 50ः महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्रदान किए गए हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में अपवादस्वरूप महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ और न्यायसंगत रूप प्रदान करने के लिए आरक्षण भी दिया गया है। अनुच्छेद 14 और 15 को तर्कसंगत मानते हुए धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवस्था को नकारा गया है क्योंकि भारत जैसे देश में विभिन्न धर्मों के विवाह के संबंध में अपने–अपने नियम कानून बने हैं लेकिन ऐसे पर्सनल निजी कानूनों की आढ़ में स्त्री स्वतंत्रय को गहरी चोट पहुंची है। मुस्लिम समुदाय में भी ऐसी ही एक सामाजिक कुप्रथा तीन तलाक ने मुस्लिम स्त्रियों के आत्मसम्मान, अस्तित्व और भूमिका पर कुठाराघात प्रहार किया है। आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक रूढ़िवादी हस्तक्षेप ने मुस्लिम महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना दुष्कर बना दिया है, इसकी जड़े ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में खोजी जा सकती है। जब एक 60 वर्षीय मुस्लिम महिला (शाहबानो) को 70 के दशक में तीन तलाक दे दिया गया उसने अदालत के माध्यम से अपने पांच बच्चों के लिए गुजारा भत्ता की मांग की किंतु धार्मिक कट्टरता और राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव में उस महिला ने अपने घुटने टेक दिए। तीन तलाक जो कि एक सामाजिक कुरीति है ने मुस्लिम महिला को सोशल मीडिया जैसे– व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल इत्यादि के माध्यम से विवाह–विच्छेद के कारण स्त्रियों की गरिमा का उल्लंघन किया है उनकी स्वतंत्रता और समानता की संवैधानिक गारंटी का हनन हुआ है। हाल ही में एक और मुस्लिम महिला ने तीन तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद की जो ''सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया'' प्रकरण के नाम से विख्यात है। एक सायरा बानो की आवाज से देश के प्रत्येक कोने कोने में मुस्लिम महिलाओं की गूंज सुनाई देने लगी, तीन तलाक कुप्रथा को समाप्त किए जाने की मांग ने मुस्लिम महिला अधिकारों को जागरूक किया, सायरा बानो जो कि उत्तराखंड की महिला थी दहेज की मांग के कारण पत्र के माध्यम से तीन तलाक दिया

गया और 14 वर्ष की शादी को समाप्त कर दो बच्चों की कस्टडी लेने से भी पति ने इंकार कर दिया। विवाह–विच्छेद के इस प्रकार ने मुस्लिम महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है परिणामस्वरूप सायरा बानो की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2017 को एक बार में तीन तलाक को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक घोषित करार दिया था जिससे महिलाओं के स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को मजबूती मिली जिस पर महिलाओं की ऐतिहासिक विजय हुई और नारी गरिमा को एक सम्मानजनक दृष्टि मिली। संसद में महिलाओं को राहत देने के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया इसमें प्रावधान किया गया कि महिला या उसका कोई सगा संबंधी तीन तलाक देने पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जिसमें गुजारा भत्ता की मांग भी शामिल है।

तीन तलाक के खिलाफ कानून आने से मुस्लिम महिलाओं को मध्यकालीन परंपरा से छुटकारा मिला अर्थात महिला अधिकारों को जीत हासिल हुई। एक लंबे समयांतराल से महिलाएं संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का हवाला देकर न्याय पाने की गुहार लगा रही थी। तीन तलाक एक बर्बर कुप्रथा थी जिसके अंत ने मुस्लिम महिलाओं को समानता के अधिकार का उपभोगी बनाया, पुरानी मान्यताओं से इतर अब महिलाएं आधुनिक प्रणाली स्वरूप में ढल सकेंगी और अपने व्यक्तित्व के विकास पर बल देंगी 2021 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक असमानता रिपोर्ट में भारत की लैंगिक असमानता 3: की दर से बढ़ी है। अतः 2030 तक लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए शनैः शनैः ऐसे बदलाव वांछनीय है।

मुस्लिम रूढ़िवादी उलेमा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील थी कि तीन तलाक इस्लामी शरिया कानून का हिस्सा है, अतः सरकार को इसमें दखलअंदाजी नहीं देनी चाहिए और इसे संविधान की मूल संरचना के खिलाफ बताया यहां यह स्पष्टीकरण देना उचित होगा कि आधुनिक समय की मांग है कि जो नियम तात्कालिक रूप से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था आज उसमें संशोधन अपरिहार्य है। अधिकतर मुस्लिम देशों ने तीन तलाक को वैधानिक रूप ना देकर अन्य रास्ता अपनाया और तीन तलाक को इस्लामी शिक्षाओं में न्यायसंगत आधार न मानकर यह माना कि इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। इजिप्ट जैसे देश जोकि इस्लामी शिक्षण का उच्चतम संस्थान है साफ कहता है, कि एक सांस में तीन तलाक को एक ही माना जाएगा। इराक, सूडान, पाकिस्तान जैसे देशों ने भी आधुनिक संदर्भों में स्त्री पुरुष को समानता देते हुए पति द्वारा एक बार में तीन तलाक को अंतिम नहीं माना। पाकिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश है वह भी यह स्वीकार करता है कि तलाक का पारम्परिक तरीका अपने वास्तविक स्वरूप में मान्य नहीं है। अफ्रीकी और अरब देशों में भी एक सांस में तीन तलाक का खंडन किया गया है। निःसंदेह यह कहना तार्किक और उचित होगा कि भारत में भी ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता अपरिहार्य है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तीन तलाक के मामले में धर्म की बुनियादी संकल्पना पर विचार करने का अवसर मिला है मुस्लिम महिलाएं भी लोकतांत्रिक समाज में सम्मान और बराबर की हकदार है।

मुस्लिम महिलाएं प्रगति के मार्ग पर झंडा फहराते हुए सक्रिय भागीदारी निभा रही है। तत्काल तीन तलाक के खिलाफ कानून आने से तलाक के मामलों में 80: की कमी आई है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अब अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने की घोषणा व्यक्त की गई है। पूर्व में हिंदू धर्म में व्याप्त रूढ़िवादी प्रथाओं का भी समय–समय पर संसद द्वारा कानून पारित करके उन्मूलन किया गया है। अतः धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता और समानता संविधान के बुनियादी सिद्धांत हैं महिलाओं के जीवन में धर्म का अतिवादी हस्तक्षेप अवांछनीय है। पुरुषप्रधान समाज में महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन स्थापित होना आवश्यक है इसलिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संधारणीय विकास लक्ष्य को 2030 तक हासिल करने का एजेंडा स्थापित किया गया है। 17 सतत विकास लक्ष्यों में पांच नम्बर लक्ष्य लैंगिक समानता की बुनियाद है। संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक समानता जरूरी है इस दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय है। हाल ही में जारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे छथ्भ्.5 के आंकड़े आशा जनक प्रतीत होते हैं। आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि महिला अधिकारों को बल मिला है। पितृसत्तात्मक समाज की सोच में बदलाव आया है। लिंगानुपात में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गई है यह आंकड़े महिलाओं की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। भारत जैसे बहुलता वाले देश में असंख्य धार्मिक समूह निवास करते हैं जो विभिन्न तरीकों से आराधना, पूजा–पाठ अथवा धार्मिक अनुष्ठानों या संस्कारों का अनुसरण करते हैं। संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ मूलभूत मौलिक अधिकार प्रदान किए, जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। संविधान ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के जरिए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था भी स्थापित की। आज किन्ही कारणवश धार्मिक कट्टरता और समान विचारधारा के अभाव में संविधान का अनुच्छेद 44 अप्रासंगिक बनकर रह गया है। समान नागरिक संहिता की दिशा में कोई आधिकारिक क्रियाकलाप के सबूत नहीं मिलते, विरोधाभासी विचारधाराओं के विपरीत एक साझा नागरिक संहिता देश की राष्ट्रीय एकता में सहायक होगी। वर्तमान सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए तीन तलाक के खिलाफ जो कानून बनाया उससे मुस्लिम महिलाओं को न्याय की राह मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तीन तलाक कानून के तहत 3 साल में आगरा जोन में 366 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जिसका विवरण दिये गये चित्र में वर्णित है।

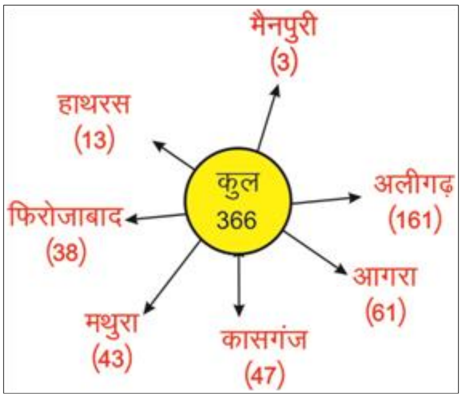

हाल ही में मुस्लिम महिलाओं पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए कुछ अभूतपूर्व अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे बिना महरम के हज पर जाने का अधिकार लगभग 1300 आवेदन देश के अलग–अलग भागों से प्राप्त हुए। यहां पर यह भी उल्लेख करना उचित है कि कुरान में महरम की अनिवार्यता का जिक्र नहीं है। हदीस से स्पष्ट कि ऐसी परम्पराएं पैगम्बर मोहम्मद साहब ने खतरों को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से शुरू की थी। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए वर्तमान कानूनी सुधारों के अंतर्गत न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित की गई फलस्वरूप संवैधानिक आदर्शों और मूल्यों को बढ़ावा मिला। यद्यपि इस्लाम में महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं दुर्भाग्यवश रूढ़िवादी उलेमा धार्मिक कट्टरता और

महिला जागरूकता के अभाव ने इसकी पहुंच को दुष्कर बना दिया है। इस्लाम महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार और शोषण की घनघोर निंदा करता है। इस्लाम ने महिलाओं को आधुनिक कानूनों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्रदान किए और इतने अधिकार महिलाओं को किसी और धर्म या जीवन दर्शन में नहीं मिले जितने इस्लाम ने दिए। इस्लाम ने नारीत्व की सुरक्षा पर बल दिया, महिला और पुरुषों के अधिकारों और कर्तव्यों में सामंजस्य स्थापित किया जैसे इस्लाम में ऐसी धारणा है कि मां के पैरों तले जन्नत है। इस्लामी महिला अधिकारों पर लिखते हुए 1930 ''एनी बेसेंट'' के शब्दों में ईसाई इंग्लैंड में संपत्ति में महिला के अधिकार को केवल 20 वर्ष पहले ही मान्यता दी गई जबकि इस्लाम में हमेशा से इस अधिकार को दिया गया है।

डॉक्टर लिसा (अमेरिकी नव मुस्लिम महिला) ने तो जिस धर्म इस्लाम को स्वीकार किया है वह स्त्री को पुरुष से अधिक अधिकार देता है। डॉक्टर लिसा एक अमेरिकी महिला डॉक्टर है और इस्लाम में महिला के अधिकारों पर सवाल उठाने वाले आरोपों का खण्डन करने के लिए प्रसिद्ध है।

इस्लाम में भी अन्य धर्मों की तरह विवाह–विच्छेद होता है, जिसके महत्वपूर्ण कारणों में पाश्चात्य सभ्यता विशेष महत्व रखती है। औद्योगिकरण, नगरीकरण के फलस्वरुप महिलाओं में नवीन चेतना का प्रसार हुआ। ब्रिटिश राज्य की स्थापना से नई सभ्यता पनपी, शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, परिणामस्वरूप वैवाहिक संबंधों में कटुतापूर्ण परिवर्तन हुए और विवाह–विच्छेद को बढ़ावा मिला। किंग्सटन यूनिवर्सिटी के द्वारा कराए गए एक शोध में सामने आया है कि शादी टूटने के बाद तलाकशुदा पत्नी पति की अपेक्षा ज्यादा खुश रहती है। विवाह–विच्छेद के मामलों में आंकड़े एकत्र करने के लिए 2017 के महीनों में मार्च से मई तक एक सर्वे किया गया जिसमें 20,671 लोगों ने भाग लिया जिनमें 16,860 पुरुष और 3,811 महिलाएं शामिल थी, इस सर्वे से महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हुए कि मुसलमानों के बीच तलाक होने का सबसे बड़ा कारण माता पिता और परिवार जिम्मेदार है। नीचे दिये गये चित्र में तलाक के विभिन्न कारणो को दर्शाया गया है,

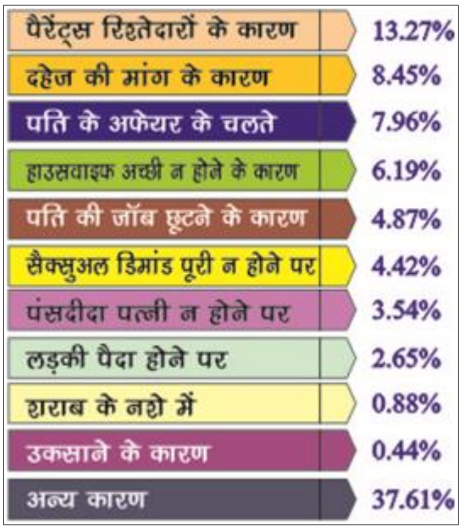

मुस्लिम समुदाय में विवाह–विच्छेद का एक प्रकार तीन तलाक ने एक तार्किक बहस छेड़ दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तीन तलाक कानून के बाद तलाक के मामलों में 80: कमी आई है। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि तीन तलाक के मामलों का प्रतिशत बहुत कम है और इस संबंध में कोई विश्वसनीय डाटा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय में इस बात का समर्थन किया की तीन तलाक 1400 सालों से चली आ रही मान्यता प्राप्त प्रथा है। बोर्ड ने 30,000 तलाकशुदा महिलाओं का सर्वे किया और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, सर्वे से स्पष्ट होता है कि इस तरह के तलाक 1: से भी कम होते हैं इस रिवाज का प्रचलन अपेक्षाकृत अब धीरे–धीरे घटा है। पटना के प्रसिद्ध इमरत–ए–सरिया में शादी और तलाक के मुद्दों को तय करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख काजी अंजार आलम कासमी ने बताया ''पिछले इस्लामिक वर्ष 2021–22 के अनुरूप इमरत शरीफ मजहर में 572 मामले थे, लगभग सभी मामले केवल मुट्ठी भर मुबारत के मामलों के साथ खुला के थे, तीन तलाक का कोई मामला न था। एक बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी शादी को समाप्त करने के विकल्प के रूप में खुला प्रथा का इस्तेमाल कर रही हैं।''

सरकारी आंकड़ों और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच यह एक विवादास्पद मुद्दा है कि तीन तलाक के माध्यम से विवाह–विच्छेद के कितने मामले दायर किए जाते हैं किंतु उपर्युक्त डाटा से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश तलाक के मामले खुला प्रथा के माध्यम से दायर किए जाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि पति के हाथों में विवाह को अचानक भंग करने के विशेषाधिकारों से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बदतर हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के विपरीत सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिंग समानता बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

मुस्लिम समाज में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति अन्य धर्मों की महिलाओं के मुकाबले कमजोर नागरिक के रूप में चिंताजनक हालात से गुजर रही है। पितृसत्तात्मक सोच की बेड़ियो में जकड़ी मुस्लिम महिलाएं घर की चारदिवारी में कैद समानता स्वतंत्रता के अभाव में धार्मिक नियमों की बदहाल व्यवस्था में एक संस्कारी आदर्शवादी महिला मानी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अशिक्षित है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, पुरूष, परिवार, समाज तथा धर्म का उस पर अनियंत्रित दबाव है। महिलाओं में शिक्षा का गिरता निम्न स्तर उनकी दुर्दशा के लिए महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे छथ्भ्.5 के आंकड़ों के अनुसार 25: मुस्लिम महिलाएं कभी स्कूल ही नहीं गई, सिर्फ 18: ने ही 12वीं या उससे ज्यादा पढ़ाई की, 30: से ज्यादा तो कुछ भी पढ़–लिख नहीं सकती, कारण अनेक सामाजिक कुरीतियों में घिरे रहना जैसे–हाल ही में कर्नाटका में हिजाब विवाद ने मुस्लिम महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति को उजागर किया है। हालांकि इसके विपरीत मुस्लिम महिलाओं ने प्रगति दर्ज की है लेकिन यह प्रगति उच्च और उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित है। किंन्तु निम्न वर्ग की मुस्लिम महिलाएं अभी भी अशिक्षित हैं। मध्यम वर्ग की महिला अभी भी अपने आधिकारिक सम्मान के लिए संघर्षरत् है। तुलनात्मक रूप से मुस्लिम और हिंदू स्त्रियों का अध्ययन करने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट छथ्भ्.5 मुस्लिम महिलाओं की कुछ अलग तस्वीरें प्रस्तुत करती है। मुस्लिम समाज में पिछले 25 सालों में कुल प्रजनन दर ज्थ्त् जो 1998–99 में 3.6 थी 2019–21 में 2.36 होकर तेजी से घटी है यानि एक महिला द्वारा दो से अधिक और 3 से कम बच्चों को जन्म दिया जा रहा है। हिंदुओं में यह ज्थ्त् 1.94 दर्ज है 100 हिंदू महिलाएं 42 बच्चों को कम जन्म दे रही है मुसलमानों की तुलना में।

मुस्लिम पर्सनल लॉ 15 साल की उम्र के बाद पुरुषों महिलाओं को शादी की अनुमति भी देता है मुस्लिम महिला की शादी की औसत उम्र 18, हिंदुओं में पहली शादी की औसत उम्र 18.7 वर्ष है। अन्य अल्पसंख्यकों में औसत उम्र महिलाओं के विवाह की 21 से अधिक है। बहुपत्नी प्रथा के प्रचलन ने भी इस तथ्य को उजागर किया कि इस मामले में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से समकक्ष नजर आती है। 2005–2006 तक केवल 2.5: मुस्लिम महिलाओं ने माना कि उनके पति की

एक से अधिक पत्नियां थी वही हिंदुओं के लिए यह आंकड़ा 1.7 था।

मुस्लिम समुदाय महिलाओं को पढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता है यह एक मिथक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, ''एक मुस्लिम छात्रा ने स्कूल में औसतन 4.3 साल बिताए थे दूसरे शब्दों में सर्वे में शामिल लगभग आधी मुस्लिम महिलाएं 4.3 साल तक स्कूल गई है पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 5.4 वर्ष था। मुस्लिम लड़कों ने औसतन 1.1 वर्ष ज्यादा बिताए। वास्तव में शिक्षा के लिए स्कूल जाने वाले सालों में अन्य समुदायों में लिंग अंतर इससे कहीं अधिक था। हिंदुओं में सबसे अधिक यानी 2 साल था जहां पुरुष छात्रों ने औसतन 7.5 साल बिताए तो वहीं महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 4.9 साल था अतः हिंदुओं के विपरीत मुस्लिम समुदाय में लैगिंग अंतर कम है। भारत में तलाकशुदा औरतों की संख्या भी 10 लाख के करीब है जिन्हें सामाजिक और सरकारी मदद की आवश्यकता है किंतु छोड़ी गई महिलाओं का मुद्दा भी तीन तलाक मुद्दे से कहीं ज्यादा गंभीर है। देश की 24 लाख औरतें परित्यक्त है अर्थात् छोड़ दी गई है। पिछली जनगणना, ''23 लाख परित्यक्त महिलाओं की संख्या तलाकशुदा महिलाओं की संख्या के दुगुने से ज्यादा है।

निःसंदेह तर्कपूर्ण कथनीय होगा कि मुस्लिम समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की सकारात्मकता स्वीकार करता है परंतु आज भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की 60ः मुस्लिम महिलाएं शिक्षा से वंचित है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता 53.7ः ही है । मुस्लिम महिलाओं की बदहाल स्थिति के लिए पुरुष सत्तावादी सोच और धार्मिक कट्टरता ही जिम्मेदार है।

आधुनिक रूढ़िवादी सोच, पुरुष प्रधान व्याख्या ने मुस्लिमत महिलाओं के प्रति धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया है, महिलाओं की स्थिति को कमतर आंकने में सामाजिक कुप्रथाएँ, परिवार, धर्म ,अर्थ नीति एवं राजव्यवस्था जिम्मेदार है। यद्यपि तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं के कोई वर्तमान आंकड़े उपलब्ध नहीं है परंतु व्यवहारिक रूप से तीन तालक से पीड़ित महिलाओं की दुर्दशा और उनकी बदहाल स्थिति ने धार्मिक नेताओं को पुनः अवसर दिया है कि वे इस्लाम में मिले महिला अधिकारों को बढ़ावा दें रूढ़िवादी सोच से परे महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान को स्वीकार करना चाहिए। सभ्य दुनिया की चेतना में प्रवेश करने से पहले इस्लाम ने महिला अधिकारों का बहुत सम्मान किया है। प्राचीन दुनिया में पैगम्बर मोहम्मद साहब धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में महिला अधिकारों के प्रगतिशील और कट्टरपंथी हिमायती रहे है। इस कारण कई आधुनिक विद्वानों ने आपको इतिहास की पहली नारीत्व तक कहा है। पैगम्बर मोहम्मद ने मक्का की विजय के बाद जब इस्लामी राज व्यवस्था की अध्यक्षता की वह सभी सामाजिक प्रथाएं जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ थी अवैध घोषित किया और उन्हें निम्न अधिकार प्रदान किए–

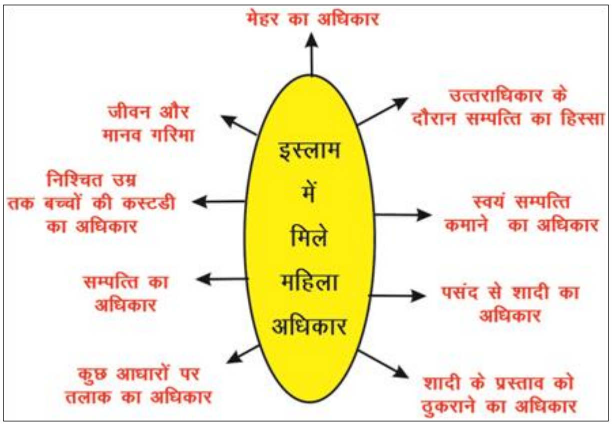

सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त नारी संपूर्ण नारीत्व की पहचान है, आज के युग में स्वतंत्र और स्वावलंबी भूमिका निभाने के लिए अग्रसर है। सामाजिक सरोकारों के सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता तथा सरकारी नौकरी में महिलाओं की प्रगति दर्ज की गई है। इस्लाम ने भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर आर्थिक अधिकार दिए हैं। महिलाओं का स्वंय स्वतंत्र वित्तीय व्यक्तित्व है। इस्लाम ने ऐसी सभी अरबों और गैर अरबों की प्रथाओं का त्याग कर दिया जो महिलाओं को उसके स्वामित्व के अधिकार से वंचित रखती हो। महिलाओं को कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का अधिकार है वह कार्य करके अपना धन कमा सकती है। यह कुरान से स्पष्ट है इस्लाम में महिलाओं को चिंता आजीविका से मुक्त रखा गया है आर्थिक रूप से गरिमा पूर्ण जीवन प्रदान किया गया है। हजरतखदीजा इसकी मिसाल पेश करती है कि उन्होंने समाज में आर्थिक कार्यवाहियों को सिलसिलेवार तरीके से पेश किया। सियासत में भी मुस्लिम महिलाओं ने काम किया रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी। इस्लाम ने महिलाओं को आर्थिक समानता और स्वतंत्रता के अधिकार दिए।

लेड बाय फाउंडेशन की रिसर्च स्टडी के नतीजे देश में एंट्री लेवल जॉब्स में मुस्लिम महिलाओं के साथ पक्षपात होता है पाया गया कि जॉब एप्लीकेशन्स पर आने वाले रिस्पॉन्स रेट में हिंदू महिलाओं के मुकाबले मुस्लिम महिला आवेदकों को करीब 50ः ही कॉल बैक आते हैं। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता है। प्राचीन काल से ही महिलाओं ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के दोहरे मापदंड के कारण अत्याचार और शोषण को सहन किया है। समय–समय पर आर्थिक स्थिति के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जाता है।

मुस्लिम महिला का राजनीतिक दमन भी लगातार जारी है राजनीतिक अधिकारों को सीमित करके उसके मनोबल को कमजोर किया जाता रहा है । भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं की भूमिका नगण्य है हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव में शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने चुनाव में मुस्लिम महिला को टिकट देने पर इसका पुरजोर विरोध किया और महिला विरोधी टिप्पणी भी की कहा कि राजनीति में महिलाओं का उतरना इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है किंतु कथित तौर पर प्रासंगिक होगा कि मुस्लिम महिलाओं के ऐतिहासिक राष्ट्रीय नेतृत्व को उभारा जाए। पूर्व में ऐसी कई मुस्लिम महिलाएं रही है जो राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए विख्यात है। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री खालिदा जिया और शेख हसीना वाजेद, तंजानिया की वर्तमान राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन। मुस्लिम महिलाओं की राजनीति भागीदारी से कुछ ऐसे धार्मिक नेता है जो एक संस्कारी मुस्लिम महिला को घर की चूल्हा चौक तक ही सीमित रखना चाहते हैं जबकि स्वयं पैगम्बर मोहम्मद साहब की पहली पत्नी खदीजा बिंद खुबेलिद आपकी मुख्य सलाहकार रही है। आपकी तीसरी पत्नी आयशा अबू बक्र अक्सर पैगम्बर के साथ लड़ाई में सैनिक नेतृत्व की भूमिका में रही है। संविधान अनुच्छेद 14–18 तक समानता के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव की मनाही करता है उनकी राजनीतिक स्वायत्तता को सक्रिय रूप देने के लिए गारंटी प्रदान करता है। महिलाओं को भी प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का पूर्ण अधिकार है।

निष्कर्ष

धर्म के वेबुनियाद, अतार्किक पैमाने और सामाजिक संस्थाओं के दोहरे मानदंड प्रारूपों ने मुस्लिम महिलाओं पर रूढ़िवादी प्रहार करके उन्हें बेहद नाजुक हालत में पहुंचाया है। मुस्लिम समाज में

विवाह–विच्छेद का सैद्धांतिक पक्ष अपेक्षाकृत लैंगिक समानता प्रदर्शित करता है, किन्तु व्यवहार में इसके दुरुपयोग से लैंगिंक अन्याय को बढ़ावा मिला है, यद्यपि एक सांस में तीन तलाक के मामलों का प्रतिशत नगण्य है किंतु प्रत्येक महिला को गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। आधुनिक समय की मांग है और तर्कसंगत आवश्यकता भी है कि हमें समान साझा नागरिक संहिता की ओर लौट आना चाहिए। मुस्लिम महिलाएं व्यवस्थित पितृ सत्तात्मक सोच द्वारा उत्पीड़ित हो रही है। यदि 21वीं सदी के ज्ञान आधारित समाज की कल्पना करनी है तो मुस्लिम महिलाओं की समग्र स्थिति का मूल्यांकन करते हुए सरकार को छोड़ी गई 24 लाख परित्यक्त औरतों की भी सुध लेनी चाहिए जो कि संवेदनशील है। अतः महिलाओं में समरसता का माहौल पैदा करने के लिए महिला सशक्तिकरण की नीति को एकीकृत और प्रेरित करने की आवश्यकता है। मुस्लिम समुदाय को मुस्लिम परिवेश के भीतर से ही सुधार करते हुए स्पष्ट मजहबी समझ, इस्लामी सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या और इस्लामी लैंगिक समानता कायम करने की जरूरत है। अंत में कथनीय होगा कि यदि समाज विघटित, असंतुलित, अप्रसन्न रहेगा तो सामाजिक उन्नति अपना महत्व को देगी। महिला और पुरुष पर महात्मा गांधी के यह विचार हमें प्रेरित करते हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं आपसी सहयोग के बिना दोनों का अस्तित्व असंभव है।

संदर्भ सूची

1. खुर्शीद, सलमान. तीन तलाक आस्था की छानबीन : तीन तलाक : धर्मशास्त्र में बुरा, कानून में अच्छा,' ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2018. 2/11 भूतल, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002, भारत द्वारा भारत में प्रकाशित, पृ. 43, 45, 47, 48, 51, 59, 77, 112
2. गुप्ता, मोतीलाल. भारत में समाज : मुस्लिम विवाह एवं परिवार, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, प्लाट नं. 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302 004. 2019, पृ. 330, 332, 336, 337, 340, 341, 342, 343
3. पाण्डेय नीति. भूषण भारत, आजादी के 75 वर्ष उपरान्त भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, BFC Publications Private Limited CP-61, Viraj Khand, Gomti Nagar, Luckow-226010
4. लक्ष्मीकान्त, एम. भारत की राज व्यवस्था, छठा संस्करण, मौलिक अधिकार, Published by McGraw Hill Education(India) Private Limited, Anjana Complex, No. 5/90 A, Butt Road, St. Thomas Mount, Chennai-600016
5. सरकारी मासिक पत्रिका, योजना, अक्टूबर 2017, पृ. 25, 26
6. दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, प्रधानमंत्री मोदी ने हर क्षेत्र में नेतृत्व के लिए महिलाओं को सराहा : मन की बात, 28 फरवरी, 2022,
7. दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, संपादकीय लेख, समान नागरिक संहिता के लिए सही समय, 15 फरवरी 2022
8. दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, लैंगिक समानता का सपना, 22 फरवरी 2022
9. दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, संपादकीय लेख समर्थ भारत में आधी आबादी का योगदान, 8 मार्च 2022
10. सूर्यवंशी, ओशिन, महिलाओं के खिलाफ एकतरफा मनमानी शक्ति सायराबानों केस के प्रकाश में तीन तलाक,इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज, 2021 पब्लिकेशन, Vol. – Issue No- IV(III)
11. जितेन्द्र, जर्नल ऑफ एडवांस एंड स्कॉलरली रिसर्च इन एलाइड एजूकेशन, 2019 16(5)
12. नियाज, नूरजहॉं सफिया. सोमन, जकिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर मुस्लिम महिलाओं के विचार।
13. इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, Vol. 50(51), 2015
14. Pib.gov.in
15. www.ijcrt.org
16. Islamweb.net/en/women
17. getlaweducation.com
18. hindilivelaw.in
19. ichowk.in
20. Rattimes.indiatimes.com
21. justicemirror.com
22. aajtak.in
23. M.The wire hindi.com
24. amarujala.com
25. jansatta.com
26. dainikbhaskar.com
27. hindibag.com
28. hindi.The print.in
29. Tv9hindi.com
30. samajkaryshiksha.com
31. ignited.in/1/a/304056article
32. dw.com